वनाम

छोटू सरदार एवं अन्य

यह अपील भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला के न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद सं0– 02/2013–14 में दिनांक–30.07.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध 1. आनन्द प्रहक 2. राजेश प्रहक दोनों के पिता स्व0 नारायण दास प्रहक 3. विनय कुमार प्रहक 4. विकास कुमार प्रहक दोनों के पिता स्व0 त्रिलोक कुमार प्रहक पता–कुलूपटांगा थाना–आर0आई0टी0 जिला– सरायकेला – खरसावाँ के द्वारा अपील वाद दायर किया गया है। इस वाद के प्रतिवादी 1. छोटू सरदार 2. रामू सरदार दोनों के पिता स्व0 मगल सरदार 3. रूसु सरदार पिता कोंदा सरदार 4. छपू सरदार 5. काना सरदार दोनों के पिता स्व0 चियांग सरदार 6. अजीत सरदार 7. अजय सरदार दोनों के पिता स्व0 बोदो सरदार पता–कुलूपटांगा थाना–आर0आई0टी0 जिला– सरायकेला – खरसावाँ है। वादग्रस्त भूमि का विवरणी इस प्रकार है – मौजा –कुलुपटांगा, थाना सं0–130, पु0 खाता सं0–14नया खाता सं0–84, पु0खेसरा सं0 कमश –663,656 नया खेसरा सं0–1117, 1145 कुल रकवा – 0.09 हक्टेयर है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित बहसनामा में निम्न विन्दुओं पर पक्ष रखे है कि–

1. प्रश्नगत भूखण्ड दलजीत कुमारी, पति नारायण दास प्रहक जो वर्तमान वादी राजेश प्रहक की माता हैं के नाम से 1983 सर्वे सेटलमेंट में नया खाता सं0–84 खुला है जो वर्तमान में आदित्यपुर अधिसूचित क्षेत्र अंतर्गत वार्ड सं0– 17 के अंतर्गत है। सर्वे सेटलमेंट 1983 में खतियानी इन्द्राज के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रतिवादीगण ने कभी वाद दायर नहीं किया।
2. अभिलेख में संलग्न अंचल अधिकारी गम्हरिया के पत्रांक–704 दिनांक 24.7.2013 के द्वारा प्रतिवेदित है कि मौजा कुलुपटांगा थाना सं0–130 खाता सं0–14 खेसरा सं0–663 रकवा–0.13 एकड़ एवं खेसरा सं0–656 रकवा–0.11 एकड़ कुल रकवा– 0.24 एकड़ का जमाबंदी नामांतरण वाद सं0–95/65–66 द्वारा दलजीत कुमारी पति नारायण दास प्रहक के नाम से नामांतरण होकर जमाबंदी कायम हुआ। तत्पश्चात जमाबंदी रैयत की मृत्यु उपरांत उत्तराधिकारी नामांतरण वाद सं0–1584/2011–12 के द्वारा राजेश प्रहक पिता नारायण प्रहक के नाम से नामांतरण स्वीकृत होकर लगान 2012–13 तक अद्यतन है।

Sen Gupta
Dutta
Pandey
Vishwakarma
Prasad, Bakshi
Rao
S.K. Paty
Md. Nisar Ansari
Damodar Prasad
Md. Mazharul Haque
Bijay Mohan Sinha
Pabitra Kumar Ray
Budhram Pradhan
Ankur Kumar Choudhury
Patanjali Mahapatra
Pahirad Mahato
Sudipta Mohan Ghosh
Ganesh Ram
Smt. Rahil Alda
Shri Jagda Nand Pradhan
Dhami Dhar nag
Satish Chandra Mahto
Krishna Gopal Roy
Ramesh Kumar Choubey

3. एन.ए.सी. सर्वे 1983 के अनुसार खाता सं0–84 खेसरा सं0–1117, रकवा–0.04.20 हे0 एवं खेसरा सं0–1145 रकवा–0.04.90 हे0 किस्म क्रमशः घरवाड़ी एवं गोड़ा दर्ज है। उक्त खेसरा सं0–1117 पर इमारत बना हुआ है एवं खेसरा सं0– 1145 पर भी मकान है जिसमें खतियानी रैयत दलजीत कुमारी पति नारायण दास प्राहक के नाम से खतियानी इन्द्राज है एवं वादी का ही दखल कब्जा है।

4. पूर्व में भी प्रतिवादियों के पक्ष से एस0ए0आर0 वाद 06/09–10 दायर हुआ था जिसके विरूद्ध एस0ए0आर0 अपील वाद 02/11–12 दायर हुआ जिसमे अपीलकर्त्ता लखन सरदार एवं अन्य के आवेदन के आलोक मे अपील मामला को वापस लेने की स्वीकृति दी गई इस लिए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित नहीं है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहसनामा में निम्न पक्ष रखा गया है –

1. प्रश्नगत भूखण्ड सर्वे 1961 मे मौजा कुलुपटागा थाना सं0–130 खाता सं0–14 के खतियानी रैयत चिनीवास सरदार पिता दुलाल सरदार, जाति –भूमिज निवासी–निज ग्राम के नाम से दर्ज है एवं प्रतिवादीगण खतियानी रैयत के उत्तरजीवी है। जो अनुसुचित जनजाति के श्रेणी के व्यक्ति है।

2. माननीय मुंसिफ, सरायकेला द्वारा आईटल वाद सं0–18/62 मे पारित आदेश सुलहनामा डिग्री होने के कारण collusive डिग्री है।

3. पूर्व में लखन सरदार द्वारा दायर एस0ए0आर0 वाद सं0–06/09–10 मे निहित भूमि का वास्तविक उत्तराधिकारी लखन सरदार नहीं है जबकि वास्तविक उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण है। इसलिए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला द्वारा पारित आदेश उचित है।

उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट होता है –

1. मौजा कुलुपटागा थाना सं0–130 खाता सं0–14 खेसरा सं0–663 रकवा–0.13 एकड़ एवं खेसरा सं0–656 रकवा–0.11 एकड़ कुल रकवा– 0.24 एकड़ का जमाबंदी नामांतरण वाद सं0–95/65–66 द्वारा दलजीत कुमारी पति नारायण दास प्रहक के नाम से नामांतरण होकर जमाबंदी कायम हुआ। तत्पश्चात जमाबंदी रैयत की मृत्यु उपरांत उत्तराधिकारी नामांतरण वाद सं0–1584/2011–12 के द्वारा राजेश प्रहक पिता नारायण प्रहक के नाम से नामांतरण स्वीकृत होकर लगान 2012–13 तक अद्यतन है। प्रश्नगत भूखण्ड पर मकान बनाने हेतु आयडा द्वारा भी अनुमोदित किया गया है।

2. एन.ए.सी. सर्वे 1983 के अनुसार खाता सं0–84 खेसरा सं0–1117, रकवा–0.04.20 हे0 एवं खेसरा सं0–1145 रकवा–0.04.90 हे0 किस्म क्रमशः घरवाड़ी एवं गोड़ा दर्ज है। उक्त खेसरा सं0–1117 पर इमारत बना हुआ है एवं खेसरा सं0– 1145 पर भी मकान है जिसमें खतियानी रैयत दलजीत कुमारी पति नारायण दास प्राहक के नाम से खतियानी इन्द्राज है एवं वादी का ही दखल कब्जा है। सर्वे

Sen Gupta
Dutta
Pandey
Vishwakarma
* Md. Nisar Ansari
* Damodar Prasad
* Md. Mazharul Haque
* Bijay Mohan Sinha
* Sudipta Mohan Ghosh
* Ganesh Ram
Smt. Rahil Aida
* Mithilesh Kumar
* D.L. Vishwakarma
* Chandra Bhushan

1983 एवं दखल के संबंध में विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला द्वारा समीक्षा नहीं की गई।

3. एन.ए.सी. सर्वे 1983 में खतियानी इन्द्राज के विरूद्ध प्रतिवादियों द्वारा सक्षम प्राधिकार में अपील वाद दायर नहीं किया गया है।

4. प्रश्नगत भूखण्ड का टाईटल शूट नं0–18/1962 में पारित आदेश के विरूद्ध प्रतिवादियों द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालयमें अपील दायर नहीं किया गया है।

5. माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉंची द्वारा WP(C) No-3472/2001 चैतू उराँव एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक 26.03.2004 को आदेश पारित है कि "restoration proceeding initated after lapse of 43 years from the date of registered ded of surrendered – Whether barred by limitation-yes- order allowing restoration set aside –petition allowed [Constitution of India, Article 226]

अतः उक्त के आलोक में उपरोक्त बिन्दुओं पर समीक्षा उपरांत निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश खारिज किया जाता है एवं अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी चाहे तो उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में रिविजन वाद दायर कर सकते हैं। इस आशय की सूचना दोनों पक्षो को दें।

वाद की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित

अपर उपायुक्त,
सरायकेला – खरसावाँ।

अपर उपायुक्त
सरायकेला – खरसावाँ।

आवेदन पत्र शुल्क 0.43

कुल 7.33